संख्या : 128 / IV(1) / 2010–03(न0वि0) / 02

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2010

विषयः नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स के समान दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 103% की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1071 / IV(1) / 2010–03(न0वि0) / 02, दिनांक 15.10.2010 के द्वारा नगर निगम, देहरादून के पेंशनर्स को राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनर्स के समान मंहगाई भत्ते का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2010 में 87 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य की गयी थी। चूंकि राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वि0आ0–शा0वि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–801 / XXVII(7)म0रा0 / 2010, दिनांक 24.12. 2010 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई राहत की 16% (सोलह प्रतिशत) की वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः उक्त एवं शहरी विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1071 / IV(1) / 2010–03(न0वि0) / 02, दिनांक 15.10.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को भी दिनांक 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई राहत की दर 16 प्रतिशत बढ़ाकर 103 प्रतिशत (एक सौ तीन प्रतिशत मात्र) किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदन करते हैं।

2– नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन तथा राहत की कुल धनराशि, उस धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अपने उसी श्रेणी के अपुनरीक्षित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन ओर राहत के रूप में समय–समय पर दी जाती है।

3– जिन कर्मचारियों का 1.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है उन्हें पूर्व से राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति मंहगाई भत्ता देय है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स की भांति नगर निगमों के सेवा निवृत्तों को मंहगाई राहत अनुमन्य होगी तथा जिन पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षित नहीं हुयी है उन्हें पूर्व दरों के आधार पर निर्गत शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगी।

4– उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दी जाने वाली मंहगाई राहत में

शासन द्वारा कोई अंशदान/अनुदान देय नहीं होगा तथा उक्त भुगतान निगम द्वारा अपने वित्तीय श्रोतों से किया जायेगा।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 4363/XXVII(7)/2010, दिनांक 6 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

संख्या : 128/(1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक। 12-1-2011

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. वित्त (वि0आ0–व्या0नियं0) अनुभाग–7 ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।